Feminism

नारीवाद / नारी-अधिकारवाद

नारीवाद या नारी-अधिकारवाद को एक स्वाधीन राजनीति-सिद्धांत के रूप में मान्यता देना कठिन है। बहुत-से-बहुत यह एक विचारधारात्मक आंदोलन (Ideological Movement) है जिसके साथ जुड़े हुए विचार को स्वतंत्रता (Freedom), समानता (Equality) और न्याय (Justice) के सामान्य सिद्धांतों के अंग के रूप में पहचान सकते हैं। इन सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में यह पुरुष के मुक़ाबले नारी की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से सरोकार रखता है; नारी की पराधीनता (Subjection) और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता है, और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करता है। नारीवाद का दावा है कि अतीत तथा वर्तमान समाजों में स्त्रियों को अपने स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है, और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐतिहासिक क्रम में इस आंदोलन के मुख्य-मुख्य मुद्दे ये रहे हैं : स्त्रियों के अधिकारों को मानव-अधिकारों (Human Rights) की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए; संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री-पुरुष की समानता स्वीकार की जाए; और स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए स्त्रीत्व (Womanhood) की नई परिभाषा दी जाए।

नारीवाद का उदय
(Rise of Feminism)

समकालीन संदर्भ में नारीवाद-आंदोलन का उदय 1970 से शुरू होने वाले दशक में हुआ। परंतु स्त्री-पुरुष की सापेक्ष स्थिति से संबंधित विवाद चिरकाल से चला आ रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो ने संरक्षकवर्ग (Guardian Class) के अंतर्गत स्त्री-पुरुष की समानता स्वीकार की थी,

परंतु अरस्तू ने पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की हीनता (Inferiority) पर बल देते हुए उन्हें दासों (Slaves) के समकक्ष रखा था। प्राचीन भारतीय गौरव-ग्रंथ 'मनुस्मृति' के अंतर्गत एक ओर यह कहा गया–'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' (जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता विराजमान होते हैं), तो दूसरी ओर यह घोषित किया गया–'न नारी स्वातन्त्र्यमर्हति' (नारी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है)। नारीवाद-आंदोलन के आरंभिक संकेत अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में ढूंढ़े जा सकते हैं। उदारवादी परंपरा (Liberal Tradition) के अंतर्गत मेरी वॉल्स्टनक्राफ़्ट की कृति 'विंडीकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ वूमेन' (नारी-अधिकारों की प्रामाणिकता) (1793) में स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने के लिए शानदार पैरवी की गई थी। वॉल्स्टनक्राफ़्ट ने विशेष रूप से स्त्री-पुरुष के लिए पृथक्-पृथक् सद्गुणों (Distinctive Virtues) की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हुए सामाजिक जीवन में स्त्री-पुरुष की एक-जैसी स्थिति और भूमिका की माँग की। आगे चलकर जॉन स्टुआर्ट मिल ने अपनी एक महत्त्वपूर्ण कृति 'सब्जेक्शन ऑफ़ वीमेन' (स्त्रियों की पराधीनता) (1869) के अंतर्गत यह तर्क दिया कि स्त्री-पुरुष का संबंध मैत्री (Friendship) पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व (Domination) पर नहीं। मिल ने विशेष रूप से विवाह-कानून में सुधार और स्त्री-मताधिकार पर बल देते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली स्त्रियों को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की।

फिर उन्नीसवीं शताब्दी में मार्क्सवाद (Marxism) के प्रवर्तकों ने स्त्री-पुरुष के परस्पर संबंधों में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। उन्होंने लिखा कि परिवार संस्था श्रम-विभाजन (Division of Labour) का सामान्य स्रोत है जिसमें स्त्री-पुरुष का संबंध प्रभुत्व एवं निजी संपत्ति (Private Property) की धारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। देखा जाए तो परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुर्जुवा-वर्ग (Bourgeoisie) के तुल्य है, और स्त्री की स्थिति सर्वहारा (Proletariat) के समानांतर है। मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि जब पूंजीवादी प्रणाली (Capitalist System) का अंत हो जाएगा तब निजी गृह-कार्य (Private Housework) सार्वजनिक उद्योग (Public Industry) को सौंप दिया जाएगा, और तभी स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर काम कर सकेंगी।

1970 से शुरू होने वाले दशक में यूरोप और अमरीका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि स्त्रियों के मताधिकार-आंदोलनों और स्त्रियों की स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार-परंपराओं में इतनी सजगता के बावजूद पश्चिमी संस्कृति के भीतर स्त्रियों की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई थी। तभी से नारी-अधिकारों के लिए एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ।

नारीवाद की मुख्य-मुख्य धाराएँ
(Broad Streams of Feminism)

नारीवाद-आंदोलन के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं जिनका संपूर्ण विवरण देना कठिन है। मोटे तौर पर, इस आंदोलन की तीन मुख्य-मुख्य धाराओं की पहचान कर सकते हैं :

(1) उदारवादी धारा (Liberal Stream) : इसका ध्येय है, नारी-अधिकारवाद के पुनरुत्थान के लिए नए संघर्ष का सूत्रपात। इसमें स्त्रियों के लिए अवसर की पूर्ण समानता (Absolute Equality of Opportunity) और लिंग के आधार पर भेदभाव के पूर्ण निराकरण पर बल दिया जाता है। इसके कार्यक्रम हैं : समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन (Equal Pay for Equal Work), गर्भपात कानूनों (Abortion Laws) में सुधार, इत्यादि। यह नारीवाद-आंदोलन का सबसे लोकप्रिय पक्ष है। परंतु इसे बहुत प्रभावशाली नहीं समझा जाता।

(2) आमूल-परिवर्तनवादी धारा (Radical Stream) : इस धारा के अंतर्गत शुलामिथ फ़ायरस्टोन जैसी उत्कट नारीवादी (Radical Feminist) ने तर्क दिया है कि वर्तमान व्यवस्था में छिटपुट सुधारों के बल पर स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार की जड़ तक नहीं पहुँचा जा सकता। आर्थिक परिवर्तन या आर्थिक शक्ति से ही स्त्रियों को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है। सारा इतिहास नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी है; यह पितृसत्तात्मक शक्ति (Patriarchal Power) का जीता-जागता उदाहरण है। इसका अभिप्राय यह है कि स्त्री-पुरुष के शारीरिक अंतर को एक जीववैज्ञानिक तथ्य (Biological Fact) मानते हुए स्त्री को बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने वाली मशीन समझ लिया जाता है। परंतु सामाजिक जीवन में स्त्री-पुरुष की इतनी भिन्न-भिन्न भूमिका का कोई जीववैज्ञानिक आधार भी नहीं है। लड़कों को अडिग, उद्दंड और दबंग बनने की शिक्षा दी जाती है; लड़कियों को आज्ञाकारी, शर्मीली और दब्बू बनना सिखाया जाता है। लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर, और विधिवेत्ता बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है;

लड़कियों को नर्स, सेक्रेटरी और गृहणी बनने के लिए। जीववैज्ञानिक दृष्टि से लड़के-लड़कियों की मानसिक क्षमताओं में कोई अंतर नहीं है। यदि समाज चाहे तो लड़के-लड़कियों की ये भूमिकाएँ आपस में बदली जा सकती हैं। इससे समाज की कार्य-कुशलता में कोई अंतर नहीं आएगा। इस विचारधारा के अनुसार स्त्री के शोषण (Exploitation) का अंत करने का सही तरीका यह होगा कि लिंग पर आधारित श्रम-विभाजन (Sex-Based Division of Labour) को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए परंपरागत मूल-परिवार (Nuclear Family) का पुनर्गठन करना होगा, और अंततः उसे समाप्त कर देना होगा। यह विचार नारी-मुक्ति आंदोलन (Woman's Liberation Movement) के रूप में व्यक्त हुआ है। कई उत्कट नारीवादियों ने स्त्रियों की ऐसी स्वायत्त बस्तियाँ बसाने की हिमायत की है जिनमें उनके उत्पीड़न के मूल स्रोत–पुरुष के लिए कोई जगह नहीं होगी। मानव-जाति को समाप्त होने से बचाने के लिए यहाँ केवल पुरुष के पुरुषत्व का इस्तेमाल किया जाएगा; उसे प्रधान भूमिका निभाने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

(3) समाजवादी धारा (Socialist Stream) : इस आंदोलन की तीसरी मुख्य धारा समाजवादी नारीवाद की है। इसकी मुख्य प्रतिनिधि अंग्रेज़ महिला शीला रोबाथम है। यह आमूल-परिवर्तनवादियों के पितृसत्तात्मक विश्लेषण (Patriarchal Analysis) और मार्क्सवादियों के वर्ग-विश्लेषण (Class Analysis) में समन्वय का प्रयत्न है। इसका दावा है कि स्त्रियों की पराधीनता के सारे कारण मिले-जुले हैं। इसका एक कारण जीववैज्ञानिक नियम है जो अनंत काल से चला आ रहा है; दूसरा कारण आर्थिक दृष्टि से पुरुष-प्रधान समाज है जिसमें पुरुष को सारी संपत्ति का स्वामी माना जाता है, यहाँ तक कि स्त्री को भी पुरुष की संपत्ति के रूप में देखा जाता है; तीसरा कारण पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें स्त्री को श्रम का स्रोत मानते हुए उसका शोषण किया जाता है। स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था ऐतिहासिक नियम (Historical Law) का परिणाम है। नारीवाद की समाजवादी धारा के अनुसार इस समस्या का समाधान यह होगा : (क) एक ओर लिंग पर आधारित श्रम-विभाजन और मूल-परिवार की धारणाओं को समाप्त करके मानव-समानता पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित की जाए; और (ख) दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए ताकि अलगाव (Alienation) से मुक्त वर्गहीन समाज (Classless Society) का उदय हो सके।

स्त्रीवाद की विशेषताएं

1. स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं, मानव प्राणी हैं : स्त्रीवाद की पहली मांग है कि उनको एक लैंगिक प्राणी ना समझकर मां, बहन, पत्नी के रूप में एक प्राणी ही समझा जा सके और चूंकि वे भी एक मानव प्राणी हैं अत: उनका पुरुषों से किसी भी प्रकार से समाज में कम महत्व नहीं है। अत: स्त्री मानव प्राणी के नाते अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती आई है।

2. पुरुषों के समान समानता : स्त्रीवाद वास्तव में प्रधानता के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। इनकी मुख्य मांग है कि स्त्री को किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं आंका जा सकता। अत: उनको प्रत्येक स्तर पर समानता मिलनी चाहिए। इनका तर्क है कि चूंकि स्त्रियों के पास भी पुरुषों के समान विवेक होता है तथा साथ ही समान पद के लिए समान समानता होती है फिर

भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनका मानना है कि स्त्रियों को अपने सर्वोत्तम गुणों और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में उन पर से प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

3. सभी क्षेत्रों में समान अधिकार व समान सुविधाएं : भेद पर आधारित नारीवादी आंदोलन की यह भी मांग है कि उनको सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में समानता नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए ये अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृति भी क्यों ना हों, अत: जिस कार्य को करने के लिए समाज के पुरुष स्वतंत्र है उसी तरह से स्त्री भी उस कार्य करने को स्वतंत्र होनी चाहिए। पुरुषों के समान घूमने-फिरने, व जीवन व्यतीत करने, कोई भी व्यवसाय अपनाने की किसी से समझौता करने, अपनी इच्छा से किसी से भी सलाह करने तथा तलाक लेने तक की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

4. पितृतंत्र का विरोध : नारीवादी उन सभी व्यवस्थाओं विचारों को ध्वस्त करने का प्रयास करता है जो पुरुष निष्ठ सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में इतिहास पितृतंत्र इतिहास है, यह पुरुष द्वारा नारी से पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्र में दुर्व्यवहार का इतिहास है। इसीलिए यह उन सब बातों का विरोध करती है जिससे पुरुषत्व आती है।

नारीवादी आंदोलन पितृतंत्रवादी राज्य व्यवस्था में ऐसा चाहता है जिसमें राज्य पितृवादी समाज का समर्थक हो। स्त्रियों को अपने व्यक्तितव के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अत: राज्य द्वारा ऐसा कोई भी कानून पास ना किया जाए तथा समाज द्वारा किसी ऐसी व्यवस्था का विकास ना किया जाए जो उनकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हो।

5. परिवार रूपी संस्था का विरोध : नारीवादी आन्दोलन समर्थक परिवार रूपी संस्था का पूर्ण विरोध करते हैं। उनका मानना है कि पारिवारिक धारणा ने ही समाज में पितृ प्रधान व्यवस्था को विकसित किया है। अत: यह संस्था नारी उत्पीड़न की प्राथमिक संस्था के रूप में है। उनका तर्क है कि परिवार रूपी संस्था ने स्त्री को दासी बनाकर रख दिया है तथा उसके कार्य क्षेत्र को घर की चारदीवारी में समेट कर रख दिया है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाती है। उनका अगला तर्क यह है कि परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण इस प्रकार किया जाता कि इससे पुरुष की स्त्री पर प्रधानता सदैव स्थापित रहती है।

एक अन्य तर्क में उनका कहना है कि पारिवारिक संस्था में वे आत्म-निर्भरता का जीवन व्यतीत नहीं कर सकतीं क्योंकि उनका मानना है कि पुरुष जब बाहर कार्य करके आता है तो उसके बदले वेतन मिलता है जबकि स्त्री को अपने घर के कार्य के बदले में किसी प्रकार का कोई पारितोषिक नहीं मिलता है जिससे उनकी पुरुषों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अत: उनका मानना है कि परिवार रूपी संस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

6. एक पति एक पत्नी विवाह विरोध : उग्र नारीवादियों का यह भी मानना है कि एक पति-एक पत्नी विवाह का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि इस व्यवस्था ने स्त्री को पुरुष की दासी बनाकर रख दिया है। इनका यहां तर्क है कि पत्नी के रूप में स्त्री का मुख्य कार्य जीवन भर पति की काम-वासना की पूर्ति करना, उनके परिवार के लिए बच्चे पैदा करना, उनका पालन-पोषण करना तथा पति को परमेश्वर समझकर सेवा करते रहना माना जाता है। अतः इस व्यवस्था का पतन भी तभी हो सकता है जब स्त्रियों पर से सिर्फ एक विवाह की प्रथा को उठा लिया जाए और वे किसी भी पुरुष से अपनी मर्जी से दूसरी-तीसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हों।

7. निजी संपत्ति का विरोध : एंजेल्स का मानना था कि स्त्री की अधीनता का मुख्य कारण निजी संपत्ति है क्योंकि निजी संपत्ति पर सदैव से पुरुष का अधिकार रहा है। अतः इस निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि पुरुष अपनी इस निजी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना चाहता है तथा इसके लिए वह एक शुद्ध वंश की कल्पना करता है जिसको पूरा करने के लिए वह स्त्री से विवाह करता है और उससे अपने उत्तराधिकारियों को पैदा करता है। अतः स्त्री उसकी दासी के रूप में है जो उसके लिए सिर्फ बच्चे पैदा करती है जिससे उनकी निजी संपत्ति बरकरार रहे।

निष्कर्ष
(Conclusion)

नारीवाद ने स्त्रियों पर युग-युगांतर से होने वाले अन्याय और अत्याचार की ओर ध्यान खींचकर इस अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाया है। परंतु जब नारी-मुक्ति के नाम पर स्त्री-पुरुष संघर्ष का मुद्दा उठाया जाता है तब स्त्री-पुरुष की एक दूसरे के प्रति निष्ठा के बंधन टूटने लगते हैं। ऐसी हालत में जब पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्त्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है तो वह स्वयं स्त्रियों को बहुत मँहगी पड़ती है। नारीवाद का यह दावा सही है कि स्त्रियों को निर्बल न समझा जाए। परंतु समाज में स्त्री की गरिमा इसमें है कि उसे ममता-मूर्ति, प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाए। सभ्य समाज में ऐसा माना भी जाता है। आवश्यकता इस गरिमा के विस्तार की है। स्त्रियों को न तो दया का पात्र समझा जाए, न दासता का विषय बनाया जाए। परंतु क़ानूनी तौर पर स्त्री-पुरुष की अक्षरशः समानता (Literal Equality) बहुत युक्तियुक्त नहीं होगी। स्त्रियों के लिए मातृत्व-लाभ (Maternity Benefits) तथा जोखिम भरे (Hazarduous) और तनाव भरे (Strenuous) कार्यों से उन्मुक्ति की व्यवस्थाओं को स्त्री-पुरुष की क़ानूनी समानता के नाम पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सम्मानित व्यवसायों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ाना भी निहायत ज़रूरी है।